भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1111

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वीकृत पद और रिक्तियां

†1111. **श्री के. राधाकृष्णन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में आज की तारीख तक शिक्षकों के स्वीकृत पदों और रिक्तियों का संस्थानवार ब्यौरा क्या है;
(ख) केंद्रीय एचईआई में सेवानिवृत्ति के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान हुई रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और 2024 तथा 2025 के दौरान अब तक भरी गई रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) इन एचईआई में आज की तारीख तक संविदा और तदर्थ शिक्षकों की एचईआईवार संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (सीएचईआई) संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। स्वायत्त संस्थानों के रूप में, संकाय की भर्ती संस्थानों के भीतर ही उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती संबंधी शक्तियां संबंधित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड में निहित हैं तथा मंत्रालय की इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं है।

रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नए संस्थानों, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने तथा मौजूदा संस्थानों में छात्रों की संख्या में वृद्धि और क्षमता के विस्तार के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की वजह से रिक्तियां उत्पन्न होती हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए प्रेरित किया था। सितंबर 2022 से, सभी सीएचईआई ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 23.12.2024 तक, सभी सीएचईआई द्वारा मिशन मोड में 15,637 संकाय पदों सहित कुल 26,751 पदों को भरा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उद्योग और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल-आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके उच्च शिक्षा को बदलने का प्रयास करती है। इसके अलावा, एनईपी व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने और सीएचईआई में उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की भी सिफारिश करती है। इस दिशा में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" के माध्यम से उद्योग और अन्य पेशेवर विशेषज्ञता को शैक्षणिक संस्थानों में लाने के लिए एक नई पहल की है। यूजीसी ने दिनांक 30.09.2022 को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" को नियुक्त करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता आदि के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को लाने और उद्योग तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विकसित करने तथा संयुक्त शोध परियोजना पर उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने के लिए सीएचईआई को सक्षम करने के लिए, "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" की अवधारणा को अपनाया गया है, और इस प्रकार छात्रों को डोमेन विशेषज्ञों द्वारा एक्सपोजर और मेंटरशिप प्रदान की जाती है। इसके अलावा, संस्थानों द्वारा आवश्यकतानुसार विजिटिंग फैकल्टी की तैनाती की जाती है, ताकि अनुभवी फैकल्टी और डोमेन विशेषज्ञों का लाभ उठाया जा सके।

****